

No.405/06/2007-FM

New Delhi the 25th June, 2012

To

M/s Chinar Circuits Ltd.,
1050/1, Survey Park,
UNS-33, Unnayan,
Kolkata-700 075,
West Bengal.

Subject: Revocation of Permission – reg.

Sir,

1. I am directed to refer to this Ministry's Show Cause Notice dated 27.4.2012 wherein your company was asked to show cause as to why action should not be initiated against your company under the provisions of the Clause 25.1.2 of Grant of Permission Agreement (GOPA) as your channel at Siliguri has reportedly been non-operational for more than six months. In response to Show Cause Notice dated 27.4.2012, your company vide letter dated 25.5.2012 stated that FM station remain closed for a period of one year due to bad luck with the industry reeling under recession. It was also stated in your letter that in compliance of this Ministry's sanction dated 4.5.2011 station at Siliguri was shut down on 23.5.2011.

2. The reply of your company is not satisfactory. Radio channel at Siliguri was suspended only for a period of one month, but your channel remained non-operational for almost more than a year i.e. since 23.5.2011. Therefore, in pursuance of Show Cause Notice dated 27.4.2012, your company is liable for penal action under Clause 25.1.2 of GOPA, which states "The Grantor may also revoke the permission if transmission from the Channel is discontinued for more than six months for whatever reason".

3. Accordingly, permission granted to your company to establish, maintain and operate the private FM radio Broadcasting Channel at Siliguri is hereby revoked under Clause 25.1.2 of the GOPA. Further, your attention is also drawn to the Clause 25.3.5 of the GOPA, which states that "In the event of revocation of Permission, the Permission holder will lose the One Time Non-Refundable Entry Fee (OTEF)."

Yours faithfully,


(C.S. Kaushik)

Deputy Secretary(FM)

सं. 405/06/2007-एफएम

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2012

सेवा में,

मैसर्स चिनार सर्किट्स लिमिटेड,
1050/1, सर्वे पार्क,
यूएनएस-33, उन्नायन,
कोलकाता-700075,
पश्चिम बंगाल ।

विषय: अनुमति रद्द किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 27.04.2012 के कारण बताओ नोटिस, जिसमें आपकी कंपनी के खिलाफ सिलीगुडी स्थित आपके चैनल के छह माह से अधिक समय तक प्रचालित न रहने के कारण अनुमति मंजूरी करार (गोपा) के खंड 25.1.2 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू न किए जाने के संबंध में आपकी कंपनी से कारण बताए जाने के लिए कहा गया था, का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 27.04.2012 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, आपकी कंपनी ने दिनांक 25.5.2012 के पत्र के तहत यह उल्लेख किया कि एफएम स्टेशन मंटी की मार झेल रहे उद्योग की खराब स्थिति के कारण एक वर्ष की अवधि तक बंद रहा था। आपके पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मंत्रालय के दिनांक 04.05.2011 की संस्वीकृति के अनुपालन में सिलीगुडी स्थित उक्त स्टेशन को दिनांक 23.05.2011 को बंद कर दिया गया था।

2. आपकी कंपनी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। सिलीगुडी स्थित रेडियो चैनल को केवल एक माह की अवधि के लिए आस्थगित किया गया था परंतु आपका चैनल लगभग एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 23.05.2011 से अप्रचालित रहा। इसलिए, दिनांक 27.04.2012 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, आपकी कंपनी के खिलाफ अनुमति मंजूरी करार के खंड 25.1.2, जिसमें यह उल्लेख है कि "अनुदाता, चैनल का प्रसारण किसी भी कारण से छह माह से अधिक समय तक बंद रहने की स्थिति में भी अनुमति रद्द कर सकता है", के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

..जारी...

...2...

3. तदनुसार, सिलीगुडी में प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारण चैनल को स्थापित करने, उसका अनुरक्षण करने तथा उसे प्रचालित करने हेतु आपकी कंपनी को प्रदान की गई अनुमति गोपा के खंड 25.1.2 के अंतर्गत एतद्द्वारा रद्द की जाती है। इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान गोपा के खंड 25.3.5 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख है कि "अनुमति रद्द किए जाने की स्थिति में अनुमातिधारक को एकमुश्त गैर-प्रतिदेय प्रवेश शुल्क (ओटीईएफ) की हानि उठानी होगी।"

भवदीय,



(सी.एस. कौशिक)

उप सचिव (एफएम)